॥ कृषिमित् कृषस्व ॥

विजयी विश्वास

दत्तोपंत ठेंगडी

भारतीय किसान संघ

विजयी विश्वास

भारतीय किसान संघ

पूर्णकालिक कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग,

श्री क्षैत्र बासर, आंध्र-प्रदेश

४ से ७ दिसम्बर २००२

(मा. दत्तोपंतजी ठेंगड़ी द्वारा दिया गया समारोपीय भाषण)

प्रकाशक :-

भारतीय किसान संघ, (महाराष्ट्र प्रदेश)

ब/२०७ भारत-भवन, १३६०, शुक्रवार पेठ,

पुणे - ७७११००२

दूरभाष – (०२०) ४४७८८०१

(c) **सर्व अधिकार प्रकाशकाधीन**

मुद्रक

संवाद ट्रेडप्रिंटस् प्रा. लि.

गोवईकर इमारत, ५९५ शनिवार पेठ,

पुणे - ४४८५६३२

दूरभाष : ४४८५६३२

मूल्य : रु. १०/-

प्रास्ताविक

दिनांक ४ से ७ दिसंबर २००२ को भारतीय किसान संघ के सभी पूर्णकालिन कार्यकर्ताओं का अभ्यासवर्ग संपन्न हुआ। इस पद्धती का यह पहला ही वर्ग था। भारतीय किसान संघ की कार्यपद्धती में कार्य बढ़ाने हेतू विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग होते रहते है। तहसिल, जिला, प्रांतस्तर के अभ्यास-वर्ग होते रहते है। कभी - कभी दो-चार प्रांतो को मिलाकर या अखिल भारतीय स्तर भी वर्गों का आयोजन हुआ है। किंतु इस वर्ग की विशेषता यह थी की यह वर्ग केवल पूर्ण कालिन कार्यकर्ताओं का ही था। अभी तक इस प्रकार के वर्ग की योजना नहीं हुई थी।

भारतीय किसान संघ अगले वर्ष २५ साल का होगा। भारतीय किसान संघ का कार्य देश के सभी प्रांतो में शुरू हो गया है। कार्य बढ़ रहा है। पूर्णकालिन कार्यकर्ताओं की भी संख्या बढ़ रही है। ऐसे समय में कार्यकर्ताओं को संगठन के संदर्भ में, अपने वैचारिक अधिष्ठान के संदर्भ में, अपने लक्ष्य के संबंध में, अपनी संगठन की कार्यपद्धती एवं कार्यकर्ता के संबंध रिती-निती अपने जेष्ठ कार्यकर्ता एंव मार्गदर्शक द्वारा मार्गदर्शन होना बड़ा ही महत्त्वपूर्ण रहता है। इस मार्गदर्शन के कारण अपने कार्य के प्रति हम अधिक और नयी दृष्टी से सोचने लगते है और कार्य में जुट जाते है। हमे प्रेरणा मिलती है। इस वर्ग की योजना करते समय यह सोचा गया था की अपने संगठन से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा हो, मार्गदर्शन मिले तथा विश्व व्यापार संगठन, अपनी प्राचीन खेती की परम्परा, रजत जयंती वर्ष आदी विषयों की भी जानकारी मिले? चर्चा हो। यह तय किया था।

दिनांक ४ दिसंबर २००२ की दोपहर ४ बजे मा. संकठाप्रसाद सिंह जी द्वारा प्रास्ताविक के रूप में वर्ग का उद्देश्य रखा गया। मा. दत्तोपंत जी के मार्गदर्शन से वर्ग का उद्घाटन हुआ।मा ० सुरेशराव केतकर जी ने 'कार्यकर्ता' संगठन मंत्रीयों की व्यवहार पद्धती इस संबंध में मार्गदर्शन किया। राष्ट्रीय कृषि निती के संबंध में मा. डॉ. कुंवरजी भाई जादव विश्व व्यापार संगठन – मा. बाबासाहब तकवाले तथा डॉ. भगवती प्रकाश 'भारतीय खेती – डॉ. एस. एल. चौधरी 'स्वतंत्रता के बाद लोकसंख्या में बदलाव - डॉ. जितेंद्र बजाज, इन विषयों पर जानकारी दी गयी।

मा. विद्यासागरराव, मा. हरिप्रसाद जी, मा. नरेंद्र जी मेघ, मा. दिनेश कुलकर्णी, मा. प्रभाकर केलकर द्वारा संगठन के विभिन्न विषयों दपर जैसे सैद्धांतिक भूमिका, कार्यपद्धती, ग्रामसमिति, आंदोलन, प्रवास, रजत-जयंती वर्ष आदी विषयों पर प्रकाश डाला गया।

इस वर्ग का समारोप दि. ७ दिसंबर २००२ को हुआ। जिसमें मा. दत्तोपंत जी ठेंगड़ी द्वारा पाथेय प्राप्त हुआ। वह बहुत ही संस्मरणीय एवं कार्यकर्ताओं के लिए सुस्पष्ट: मार्गदर्शन है। पूर्ण कालीन कार्यकर्ताओं के लिए तो यह महत्वपूर्ण है ही तथा अन्य सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी है। इसलिये इस पुस्तक में वह संपूर्ण उद्‌बोधन दिया है। जिसका संकलन जोधपूर प्रांत के संगठन मंत्री श्रीमान भागीरथ जी चौधरी ने किया है। इस पुस्तक का उद्देश है, यह समारोपीय मार्गदर्शन सब के लिए उपलब्ध हो यही है।

वर्ग का स्थान श्री सरस्वती के वास्तव से पुनित, गोदावरी नदी के तट पर बसे बासर गांव में था। यहाँ पू. व्यासजी का भी वास्तव्य हुआ था। और उन्ही के द्वारा ही माँ सरस्वती जी की मूर्ती भी स्थापित हुई है। ऐसा पवित्र और सुंदर स्थान अपने आंध्र के कार्यकर्ताओं ने चयन किया था। प. पू. डॉ. हेडगेवार जी का पैतृक गांव कुंदकुर्ती भी वहाँ से नजदीक है।

यह वर्ग के संस्मरणीय था। इस पुस्तक में दिया गया हुआ समारोप का भाषण हम सबको प्रेरणा देगा।

युगाब्द ५९०५ दिनेश द. कुलकर्णी

चैत्र. शु. १ शके १९२५ अ. भा. सह संगठन
मंत्री दि. २ एप्रिल २००३ भारतीय किसान संघ

पुणे

विजयी विश्वास

मा. दत्तोपंत जी ठेंगड़ी

इस गांव में यह प्रशिक्षण वर्ग लेना बहुत हिम्मत की बात थी, कठिनाईयां बहुत थी इसका अन्दाजा इस तरह कर सकते है कि पीने का अच्छा पानी भी यहाँ दूर से लाना पड़ता था, ऐसी परिस्थिति में आंध्र-प्रदेश के अपने कार्यकर्त्ताओं ने विद्यासागर राव के नेतृत्व में बड़ी हिम्मत दिखाई। इसीलिए मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ। यहाँ मेनेजमेन्ट में जिन्होनें-जिन्होनें काम किया, उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, भारतीय किसान संघ के लोग भी उसमें हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, विद्यार्थी परिषद, मजदूर संघ के भी कुछ लोग है, जिन्होंनें-जिन्होंनें मेनेजमेन्ट में काम किया, उनके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

जितना समय उपलब्ध था, उसका पूरा अच्छा उपयोग किया गया, ऐसा मुझे लगता है। वैसे तो हर एक विषय बहुत विस्तृत हो सकता है, किन्तु समय जितना उपलब्ध था उसमें और आवश्यक सारे विषय आ गए ऐसा मैं समझता हूँ। केवल एक बात का पुनःस्मरण जाते समय करना उपयुक्त रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। उद्घाटन भाषण का प्रारम्भ ही जिस विषय से हुआ, आत्म-चिन्तन, आत्म-निरक्षण, हम कौन है ? इसका ध्यान फिर से जाते समय करना यह आवश्यक होगा, तब मैंने बृहदारण्यक उपनिषद से यह बात बताई थी कि शरीर की रचना में इन्द्रियों का स्थान क्या है? प्राणों का स्थान क्या है? और उसमें यह बताया था कि दोनों नौकर हैं, शरीर के, लेकिन इन्द्रियां शरीर की वेतन लेने वाली नौकर है, प्राण शरीर के अवैतनिक, वेतन न लेने वाले नौकर है और इसी के कारण दोनों के कार्य के स्वरूप में अन्तर है। और अन्तर यह बताया कि जो वेतन पाने वाली इन्द्रियां है, जो उनको वेतन मिलता है, इन्द्रियों के उपभोग इस नाते शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादी विषयों का उपभोग लेना, यह उपभोग उनका वेतन है। प्राण जो है उसके लिए कोई वेतन नहीं है। कुछ न लेते हुए, कुछ उपभोग न करते हुऐ, प्राण लगातार काम करते है, लगातार काम करते रहना यह प्राण की विशेषता है। प्राण यदि

लगातार काम नही करेगा तो आपका शरीर खत्म हो जाएगा, इन्द्रियों के लिए यह शर्त नहीं है, इन्द्रियां थक भी सकती है, ज्यादा काम करने से विश्राम की आवश्यकता उनको होती है, इसीलिए तो सप्ताह में एक बार छुट्टी चाहिए। हमारे वर्किंग आवर्स निश्चित होने चाहिए आदी जो मांगे उठती है, इनका कारण यही है, इन्द्रियां थक जाती हैं, थकने का अधिकार प्राणों को नहीं है। हम कौन है? यह विचार करते है तो यह ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ भी पूर्णकालिक कार्यकर्ता एकत्रित हुऐ है। उनमें से कुछ संगठन मंत्री यह अभिधान प्राप्त किए हुए हैं। कुछ लोगों को संगठन मंत्री ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि सभी को यह कहना सम्भव नहीं है, लेकिन सभी का काम का स्वरूप संगठन मंत्री का ही है। वह विशेषण प्राप्त हो या ना हो, लेकिन यहाँ आए हुए सभी के काम का स्वरूप संगठन मंत्री का ही है, पर जैसा उदाहरण बताया गया कि संगठन मंत्री को अन्य सामान्य सदस्यों से अपनी विशेषता क्या है, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सभी सदस्य है, हम भी सदस्य है, किन्तु आप पूर्णकालिक कार्यकर्ता है। है तो भारतीय किसान संघ के ही सभी लोग, किन्तु उनसे आपकी विशेषता क्या है, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहली विशेषता यह है जैसे मैने कहा कि बाकी इन्द्रियां थक जाती है, थकने का उनका स्वभाव है, उनका अधिकार है। वैसे ही सामान्य सदस्य थक जाते है, थकने का उनका स्वभाव है, थकने का उनका अधिकार है। जैसे अभी चर्चा हुई उससे स्पष्ट हुआ, अब आने वाले दिन में सरकार पर दबाव लाने के लिए बड़ा कार्यक्रम करने की आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रास्ते पर लाने की आवश्यकता है, लेकिन सामान्य सदस्य थक गए है। अभी जो डेमॉन्सट्रेशन हुए, विभिन्न प्रदेशों में तो उसमें आर्थिक दृष्टि से थक गए है, शारीरिक दृष्टि से थक गए है, तो इसीलिए अलग ढ़ंग से कार्यक्रम की रचना करनी पड़ी। तो सामान्य सदस्यों को थकने का अधिकार है, थकने का स्वभाव उनका होता है जैसे इन्द्रियों का है, प्राणों को थकने का अधिकार ही नहीं है। प्राण लगातार काम करते रहे यह आवश्यक है। प्राणों ने काम छोड़ा तो देह समाप्त हो जाएगा। वैसे संगठन मंत्री जो है उन्होनें, उनको थकने का अधिकार नहीं है, थकने का उनका स्वभाव होना नहीं चाहिए, यदि थक जाते है तो थकने के स्वभाव को बदलना चाहिए और लगातार काम करते रहना, यह उनका स्वभाव होना चाहिए यह एक बात हम ध्यान में रखें।

दूसरी बात ध्यान में रखें, इन्द्रियों को वेतन मिलता है। क्या वेतन लेते हैं? "उपभोग" ! प्राण वेतन नहीं लेते यानि उपभोग नहीं लेते, प्राण का राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, जो विचार होता है, तो जो स्थान उपभोग का है वही स्थान पैसा और प्रतिष्ठा का है। तो सामान्य सदस्य वो पैसा और प्रतिष्ठा इसका विचार कर सकते है किन्तु जो संगठन मंत्री, वो पैसा और प्रतिष्ठा का विचार नहीं कर सकते माने वेतन नहीं ले सकते, अवैतनिक है। तो प्रतिष्ठा और पैसा, इसका विचार न करते हुए लगातार काम करते रहना, जैसे प्राणों की भूमिका है, वैसे ही पूर्णकालिक कार्यकर्त्ताओं की भूमिका है। इससे आपको स्पष्ट होगा कि सामान्य सदस्यों की तुलना में, पूर्णकालिक कार्यकर्त्ताओं की भूमिका भिन्न है, और कई सुविधाएं जो सामान्य सदस्य ले सकते हैं, कई अधिकार जो सामान्य सदस्यों को है वह पूर्णकालिक कार्यकर्त्ताओं को नहीं है, और हमने स्वयं जानबूझकर अपने आप को उन अधिकारों से वंचित रखा है, उन सुविधाओं से अपने को वंचित रखा है, जान-बूझकर वंचित रखा है, यह ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, सामान्य सदस्य है, हम जानते है कि भारतीय किसान संघ गैर-राजनीतिक है, किन्तु हर किसान जैसे किसान है वैसा नागरिक भी है, और उसके कारण कॉन्स्टिट्युशन के अन्तर्गत नागरिक के जितने अधिकार है वह सारे अधिकार किसान को भी है। इसलिए किसान उन अधिकारों का उपयोग कर सकता है। हर किसान मतदाता है, आप भी मतदाता है, किन्तु भारतीय किसान संघ को राजनीति से अलग रखा, इसके कारण भारतीय किसान संघ के नाते हम, चुनाव में कुछ काम न करें, राजनिती में कुछ काम न करें, यह आवश्यक है, किन्तु व्यक्तिगत रूप से सामान्य सदस्य को नागरिक के नाते काम करने का अधिकार है। लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है। नागरिक आप भी है। किंतु भारतीय किसान संघ गैर-राजनीतिक, यह सिद्ध करना है तो? आपको यह अधिकार नहीं, किसान उसमें हिस्सा ले सकता है, क्योंकि आप या आपके क्षेत्र में जो किसान संघ के नाते जाने-माने लोग है, जिनको लोग किसान संघ के साथ आईडिन्टीफाईड् मानते है। उन्होंने यदि राजनीति में और चुनाव में काम किया है, तो लोग कहेंगे कि यह तो ढोंगी लोग है। एक तरफ कहते हैं कि हम गैर-राजनीतिक है, और एक तरफ चुनाव में काम कर रहे हैं। एक विशेष दल के लिए तो आपको लोग ढोंगी कहेंगे। सामान्य सदस्य को अधिकार है उसमें आपत्ति नहीं, लेकिन भारतीय किसान संघ के नाते जो आईडिन्टीफाईड है, उन लोगों ने राजनीति के विषय में, चुनाव के विषय

में स्तब्ध रहना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए, अपने ऊपर हमने खुद यह बन्धन लगा देना चाहिए, यह आवश्यक है, वरना जनता को यही लगेगा कि आप जो बोलते है, आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। यह बात राजनीति ओर राजनीतिक चुनाव के बारे में ध्यान में आती है।

लेकिन कई बातें है जो ध्यान में नहीं आती है, और लगता है यह करने में आपत्ति क्या है? कहीं भी चुनाव हो, अब गांवों में सहकारी संस्थाओं की आवश्यकता है, क्रेडिट सोसाईटी की आवश्यकता है, शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता है, हॉस्पीटल की भी आवश्यकता हो सकती है, सबकी है, तो लगता है कि यह संस्था अच्छी तरह चलनी चाहिए, कुछ लोग सोचते है की, कॉ- ऑपरेटिव बैंक को डॉमीनेट करेंगे, क्रेडिट सोसाईटी को डॉमीनेट करेंगे, यह भी कई लोगों के मन में होता है और इसीलिए लोग इसमें हिस्सा लेते है। और यह ठीक है, कि अपने अपने गांव की सहकारी संस्था, हॉस्पीटल, क्रेडिट सोसाईटी, शिक्षण संस्था अच्छी चलें, यह तो ठीक है। किन्तु यह आपका काम नहीं है। कैसे अच्छी चलेगी इसके लिए लोगों की योजना कीजिए, लोगों को बताईए। आप स्वयं इसमें पदाधिकारी न बने यह आवश्यक है। पहले तो ऐसा लगता था कि आप पदाधिकारी बनेंगे तो किसान संघ की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन फिर ध्यान में आता आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी ऐसा आभास हुआ तो भी थोड़े साल के बाद आप विवाद का केन्द्र बन जाते है। विवादास्पद बन जाते है। "कॉन्ट्रोवरशल" बन जाते है। और इसके कारण किसान संघ भी "कॉन्ट्रोवरशी" का एक हिस्सा हो जाता है। तो यह जो अहं या गलत चिन्त है, तो कॉ- ऑपरेटिव बैंक क्रेडिट सोसाईटी, शिक्षण संस्थान, हॉस्पीटल यह सारा अच्छा चले यह देखना चाहिए, दूर से। वो कैसे चलेगी इसके लिए मनुष्यों की योजना करनी चाहिए, किन्तु स्वयं आप उसमें पदाधिकारी न बने यह आवश्यक है। वरना किसान संघ में ही बाद में झंझट पैदा हो जाएगी।

वैसे प्रचारक के बारे में, आपके बारे में, एक सामाजिक अपेक्षा बहुत बार निर्माण होती है, प्रचारक के, आपके विषय में सभी के मन में आदर है, श्रद्धा है। कहीं अपने ही कार्यकर्त्ताओं में कोई झगड़ा पैदा हुआ, जैसे माना हमारे ही दो कार्यकर्ता है, दोनो भाई है। जमीन कितनी देनी, जायदाद कितनी देनी, सवाल आ गया कि अपनी माता के गहने, अलंकार उसका बंटवारा कैसे करना, आपस में मिलकर सुलझन नहीं होती, तो सोचते

है कि कोई तो मध्यस्थ होना चाहिए, "आर्बीट्येटर" होना चाहिए। आपकी तरफ ध्यान जाता है, दोनों आपके तरफ आते हैं, कहते है कि यह हमारा पार्टीशन का झगड़ा है, आप जरा इसमें दोनों का सुलझन कीजिए। दोनों कहते है, आप जो कहेंगे हम मानेंगे, ईमानदारी से कहते है झूठ नहीं बोलते, लेकिन उनके मन में भाव जो रहता है यह दोनों जब कहते है कि आप जो कहते है हम मानेंगे, तो हर एक के मन में यही रहता है कि मैं जो चाहता हूँ वही ये कहेगा और यदि वो जो चाहता है वह आपने नहीं कहा तो नाराज भी हो जाता है। असन्तुष्ट होता है। तो अब ऐसी जो बाते है, हमने जान-बुझकर समझकर, इस झंझट में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हां, दो भाई हैं, आपस में उनका कुछ सुलझन हो, इस दृष्टि से व्यवस्था करनी है, और किसी को बताना है, और किसी को इस झगड़े का चार्ज देना है, आप दे सकते है। आप स्वयं उसमें उलझना नहीं चाहिए, उलझने से किसान संघ की हानि होगी। आपको मोह होता है, कि जब दोनों कह रहे है कि आप जो कहेंगे मानेंगे,हमको भी मोह होता है, लेकिन इससे जरा परावृत्त होना चाहिए।

ऐसे कुछ अपने ऊपर स्वयं हमने, बन्धन डाले हैं। बन्धन क्या है? बन्धन है कि अन्य सदस्य वाणी का चाहे जैसा उपयोग कर सकते है, हमे नही करना चाहिए, केवल किसान संघ के नाते ऐसा नहीं, मामूली विवाद में लोगों को अपनी भाषा में नियन्त्रण रखना चाहिए, बोलने पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन सर्वसामान्य है वह किसान संघ के सदस्य के लिए नहीं है, लेकिन जैसे बाकी लोगों की किसान संघ के सदस्यों को भी अपने खुद पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अब लोगों का सम्बन्ध आता है वाणी से, जिह्वा से अपना लोगों का सम्बन्ध आता है, अब हर एक व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि हमें जो लगता है बोलते है और अपने यहाँ भी जिसको जो चाहते है वो बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन हमने यह निर्णय किया कि सामूहिक विचार-विमर्श हो, सामूहिक निर्णय हो। उसमें से सामूहिक नेतृत्व का निर्माण हो। अब सामूहिक नेतृत्व चाहिए तो सामूहिक निर्णय चाहिए। सामूहिक निर्णय लेना है तो फिर सामूहिक जो आपस में बोलने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए, यह कैसे होगा? यदि बैठक में बैठने के बाद सबके ऊपर आपने बन्धन लगाया कि 'नहीं-नही ऐसी गर्म भाषा नहीं बोलनी चाहिए' , नहीं बोलनी चाहिए, यह ठीक है। झगड़े वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। किन्तु सभी का कन्ट्रोल कर सकेंगे यह सम्भव नहीं है। आप की वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए। मुझे

स्मरण है कि जब मैं जनसंघ में था तो एक प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी ने कुछ गलत नीति अपनाई थी।

उसको समझाने की जिम्मेवारी देकर मुझे और जनसंघ के एक ऑल इण्डिया 'लीडर, दोनों को पण्डित जी ने भेजा था। हम गए। ये जो जनरल सेक्रेटरी था उसको लेकर अकेले में, मैदान में, अंधेरे में हम बैठे। बातें शुरू करनी थी। अब मैं बात शुरू करने वाला था, मेरे साथ ऑल इण्डिया लीडर आए थे, उन्होनें बात शुरू कर दी। बात शुरू कर दी थी तो हमको बोलने का मौका ही नहीं मिला, वो और प्रांत का जनरल सेक्रेटरी में संवाद चला, और जैसे प्रान्त का जनरल सेक्रेटरी उनकी बात मानने से इंकार करता था। तो आखिर में उन्होनें कहा कि गैट आऊट, यू आर अ फर्स्ट क्लास फूल, चला गया वह। बाद में मैने उनको कहा, कि आप ये न कहते तो काम नहीं चलता था क्या? आप इतना भी यदि कहते कि, भई देखो, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारे ध्यान में नहीं आ रहा है, जरा समझने की कोशिश करो, तो भी वही परिणाम होता, पर तुम गधे हो यह कहने का भी वही परिणाम, तो इतने कठोर शब्द का आपने प्रयोग क्यूं किया? तो वो मेरे ऊपर गुस्सा हुए, उन्होंने कहा दत्तोपंत, आप ढोंगी हो, इस व्यक्ति के बारे में मैं जो सोचता हूँ आप भी वही सोचते हो, लेकिन मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, जो मन में आता है, मैं बोलता हूँ, आप ढ़ोंगी हो, आप मन की बात मन में रखते हो, मैंने सोचा कि अब इनके साथ क्या बात करना ? तो जिसने संगठन करना है, उसने इसमें अभिमान करने की आवश्यकता नहीं कि मैं तो मुंह्फट हूँ जो मुझे लगता है मैं बोलूंगा, इसकी आवश्यकता नहीं। ठीक ढ़ंग से बोलना इसका विचार करना चाहिए।

अब देखिए भाषा संयमित होनी चाहिए, अब हमारे सभी कार्यकर्ता संयमित भाषा का प्रयोग करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमें प्रयास करना चाहिए लोगों को संयमित बनाने के लिए, लेकिन सब संयमित बनेंगे यह तो सम्भव नहीं है। लेकिन संयम छोड़ने का अधिकार आपको नहीं है। आप ने संयमित होना ही चाहिए। अब संयमित भाषा के बारे में भी लोगों के अपने-अपने स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अलग-अलग कल्पनाएँ होती है। जैसे मुझे स्मरण होता है, मजदूर संघ में, बरौनी में, रिफाईनरी में कम्यूनिस्टों की यूनीयन थी, बहुत प्रबल थी। मैनेजमेन्ट के साथ उनके सम्बन्ध थे और वहां यूनीयन निकालने की कोई हिम्मत नहीं करता था। राकेश इस नाम का अपना एक कार्यकर्ता

था, स्वयंसेवक था। उसने हिम्मत की, और फिर यूनीयन शुरू हुई, मेम्बरशिप बढ़ने लगी। लेकिन अपने यूनियन के लोगों को मेनेजमेंट कुचलने की कोशिश करती थी। एक बार वहां के चार-पांच अधिकारी, जो स्वयंसेवक भी थे, वे दिल्ली आए। मैं उस समय मेम्बर ऑफ पार्लीयामेन्ट था, वे मकान पर आए, उन्होंने कहा कि, "ठेंगड़ी जी बात ऐसी है कि आपके राकेश ने जो दस मांगे दी है, उनमे से पांच मांगे तो ऐसी है जो हम ऑन द स्पॉट कन्सीड कर सकते है। माने उसके लिए तो ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं के वहीं हम वह मांगे पूरी कर सकते है, हमारे वश की बात है"। तो हमने कहा कि, “भई क्यूं नहीं करते ?” तो बोले, “उसका एक कारण है।“, राकेश हमेशा कठोर भाषा का प्रयोग करता है। गैट मीटिंग में भाषण देते समय, मैनेजमेंट को पत्र लिखते समय, भाषा बहुत कठोर रहती है। इसके कारण और जब चेयरमैन और मेनेजिंग डायरेक्टर को गाली देंगे तो वह नाराज हो जाते है और हम यदि कन्सीड करे, हमारे वश की बात है, लेकिन हम कन्सीड नहीं कर सकते क्योंकि मैनेजमेन्ट के एम. डी. और चेयरमैन, उनको गाली देने के कारण वे बहुत असन्तुष्ट है। आप उसको इतना कहे कि वो गाली न दें, कठोर भाषा का प्रयोग न करें, फिर हम देख लेंगे, आप बोल सकते है ? हमने कहा राकेश हमारा स्वयंसेवक है, आज्ञांकित है, बोल सकते हैं। हमने उनको बोला लड़का ठीक है अब वो डिस्प्लिण्ड है इसमें कोई शक नहीं, अच्छा स्वयंसेवक है। लेकिन छह महीने बाद फिर जब वे लोग आए, उन्होंने कहा कि “आपने राकेश के साथ बात की, हमने कहा, बात की, उन्होंने कहा “फिर उसने मान लिया ?”, हमने कहा “मान लिया” , उन्होंने कहा “नहीं उसका पालन तो नहीं किया” , हमने कहा “ऐसा हो नहीं सकता, राकेश हमारा स्वयंसेवक है, आज्ञा का पालन करने वाला है” , बोले “नहीं,नहीं उससे पूछो, उसने १५ दिन पहले चिट्ठी लिखी है। चेयरमेन को तो किस भाषा का प्रयोग किया, यह पूछो।“ वो आया, मैने कहा कि "भई तुम्हारे बारे में शिकायत है, तुमने स्वीकार किया था कि अब कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे” , बोले "नहीं, नहीं मैं आप जो आज्ञा करते है वैसे ही चलता हूँ”, हमने कहा कि “हमने सुना अभी १५ दिन पहले आपने चिट्ठी भेजी “बोले” मैं आपको चिट्ठी पढ़कर बताता हूँ।“ चिट्ठी हमको दी। चिट्ठी में प्रारम्भ था, “परम आदरणीय सभापति महोदय, राकेश के विनम्र प्रणाम”, फिर मांगे थी, और आखिर में कहा था कि “हमारी, मांगे जायज है, यह आप समझ लेंगे और वो मांगे पूरी करेंगे यह मुझे पूरा विश्वास है। तो भी यदि किसी कारण से आपने

यह मांगे पूरी नहीं की, तो परम आदरणीय सभापति महोदय मैं अति विनम्रता के साथ आपको यह बताना चाहता हूँ कि उस परिस्थिति में आपका सिर कमल और हमारी चरण पादुकाओं का सुखद संयोग अवश्य होकर रहेगा। राकेश ने कहा कि, "इसमें कठोर शब्द कौन सा है ? सिर कमल कहा, चरण पादुकाएं कहा", मैने कहा, "भाई शब्द जो भी हो भाषा का मतलब तो एक ही है कि जूते मारेंगे। देखो शब्दों का अर्थ क्या होता है? इस विषय में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है।

गुस्सा ही नहीं, बोलते समय आपका टोन क्या रहता है, संघ की बैठक में मै एक बार गया, वहाँ का कार्यवाह बैठक ले रहा था। वह डांट-फटकार की भाषा में बोल रहा था। बैठक के बाद मैंने कहा कि भई देखो अब जरा डांट- फटकार मत करो। दूसरे दिन फिर बैठक थी। उस बैठक में भी मैं था, एक स्वयंसेवक जरा देरी से आए, तो उसने डांटकर कहा, "प्लीज सिट डाऊन" बैठक के बाद में मैंने कहा कि आपने उसको डांटकर बैठने को कहा, तो बोले मैंने उसे प्लीज सिट डाऊन कहा यानि कृपा करके। आपने प्लीज कहा होगा, कृपा करके कहा होगा लेकिन आपका जो टोन है, वो ठीक नहीं था। तो मेरा मतलब है कि इस तरह से अपनी वाणी पर, अपनी आवाज पर इसीलिए अपने स्वभाव पर नियंत्रण लाना यह आवश्यक हो जाता है।

उसका मतलब यह नहीं कि लोगों ने बोलना नहीं चाहिए, लोग जो कुछ भी बोले उनको संयमित रखने का आप प्रयास करें, सब संयमित रह नहीं सकते। किन्तु आप जो यहाँ बैठे हुए लोग है, आप ने ध्यान में रखना चाहिए कि आप की भाषा और आप की वाणी, आप की आवाज जो है, नियंत्रित होनी चाहिए, संयमित होनी चाहिए। अब हम सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक विचार- विमर्श पर विचार करते है, यह कैसे हो सकता है? तो उसका सूत्र है, **"वाक् स्वातन्त्र्य - कर्म नियंत्रण"** बैठक में जिसको जो लगता है वो बोले स्वतंत्रता है, लेकिन एक बार सबका बोलना होने के बाद बैठक में जो निर्णय होगा, वह निर्णय सब ने अपना ही निर्णय है, ऐसा समझना चाहिए। यह नहीं कि जैसी पद्धति है कि मेरी बात नहीं मानी गई। ऐसा है कि कोई भी निर्णय लेते है तो उसके कुछ अच्छे परिणाम होते है, कुछ खराब परिणाम होते है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप दूसरी बात बोल रहे है, मैं यह जानता हूँ कि इसके दुष्परिणाम होते है। आप भी जानते हैं कि उसके दुष्परिणाम होते है। लेकिन आप क्या सोचते हे? ऐसा निर्णय लेने के कारण अच्छे

परिणाम कितने होते है? ऐसा निर्णय लेने के कारण खराब परिणाम कितने होते है? ऐसा निर्णय लेने के कारण खराब परिणाम कितने-कितने होते है। ऐसा कोई निर्णय नहीं जिसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। हर एक निर्णय के कुछ न कुछ दुष्परिणाम होते है। लेकिन मैं भी मन में सोचता हूँ अच्छे परिणाम ज्यादा है या खराब परिणाम ज्यादा है। आप भी मन में सोच रहे है अच्छे परिणाम ज्यादा है या खराब परिणाम ज्यादा है। आपको ऐसा लगा कि इस निर्णय का अच्छा परिणाम ज्यादा है, खराब परिणाम कम है। आप कहते है मैं ऐसा निर्णय लूंगा, किन्तु इसके अच्छे-बुरे परिणाम विचार में आपने नहीं लिए ऐसी बात नहीं है। अब मैंने जो कहा उसके विपरीत आपने निर्णय लिया और दुष्परिणाम दिखने लगे और यदि मैं शुरू करता हूँ, मैं पहले से ही कहता था, मैं जानता था, मेरी सुनता कौन है?

अपने यहां पद्धति है, "कि मेरी सुनता कौन है? "यह स्टाईल ठीक नहीं है। बाकी लोग लें तो आपत्ति नहीं। आपने यह स्टाईल नहीं लेनी चाहिए। आपने यह समझना चाहिए कि जो निर्णय सामूहिक हुआ है, शायद आपने जो बताया है उसके विपरीत निर्णय हुआ है, तो भी एक बार निर्णय हो गया तो वो मेरा ही निर्णय है, ऐसा समझकर आगे की चर्चा चलानी चाहिए।

परमपूजनीय गुरूजी का सरसंघचालक होने से पहले, सिंदी में एक बैठक थी, आप सब जानते हैं। जहाँ संघ की कार्यपद्धती, आज्ञाएँ, प्रार्थना आदी पर पूरा विचार हुआ, वहाँ चर्चा चलती थी। माननीय अप्पा जी जोशी ने ऐसा लिखकर रखा है कि हमें वो गोलवलकर के बारे में बड़ा आश्चर्य होता था। जब विषय निकला तो गोलवलकर आवेश के साथ आपकी बात रखते थे। लेकिन निर्णय यदि उनके कहने के विपरीत हुआ तो भी जैसे उनका ही यह निर्णय है, ऐसा समझकर, अगली बैठक में फिर से हिस्सा लेते थे। यहाँ जो विशेषता है "वाक् स्वातन्त्र् कर्मनियंत्रण" उसी के आधार पर सामूहिक नेतृत्व निर्माण हो सकता है। अब वाक् स्वातन्त्र् दिया उसमें आपको भी जरा मन की तैयारी रखनी चाहिए कि बैठक में आपके ऊपर भी लोग छिंटाकशी करेंगे, इसके कारण एकदम उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं। जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसा समझकर, और बैठक कन्डक्ट करना चाहिए। आपके ऊपर आरोप हो सकते है। लेकिन बैठक में, इसके कारण उत्तेजित होकर जोर से बोलना इसकी आवश्यकता नहीं है, इग्नोर कीजिए उसको,

उसकी तरफ दुर्लक्ष्य कीजिए। बाकी बैठक का काम आप कन्डक्ट कीजिए, तो किसी भी तरह से आप स्वयं विवाद का विषय न बनें इसकी आवश्यकता है।

पूर्णकालिक कार्यकर्ता या संगठन मंत्री के नाते जो हमेशा कि अपनी बातचीत में नहीं आते ऐसे भी कुछ विषय ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। महत्त्वपूर्ण विषय सम्पर्क है। किसान संघ के सभी कार्यकर्ता या सदस्य इस विषय पर ध्यान देंगे या नहीं देंगे, यह निश्चित नहीं कह सकते। किन्तु जिम्मेवारी आपकी है। आप उनको बता सकते है। वे करेंगे या नहीं करेंगे लेकिन सम्पर्क की पहली जिम्मेवारी आपकी आती है और सम्पर्क में क्या ध्यान में रखने की बात है ? पहली बात यह है, कि, किसानों के लिए किसान संघ के लिए कई लोगों से झगड़ा करना पड़ता है, कभी सरकार से झगड़ा होता है, कभी व्यापारीयों से झगड़ा होता है। कभी बाकी लोगों से झगड़ा होता है। और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए झगड़ा अपरिहार्य हो जाता है, तो झगड़ा करना ही चाहिए। किन्तु किसान संघ के नाते जब हम झगड़ा करते हैं तब हमारा संगठन मंत्री स्वयं झगड़ालू है ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सरकार के अधिकारी है उनके साथ भी संगठन मंत्री का अच्छा सम्पर्क होना चाहिए। व्यापारी वगैरह लोग जिनके साथ किसान संघ के नाते झगड़ा होता है। यह दोनों बाते हो सकती है कुछ लोग सोच सकते है कि यह हो सकता है कि नहीं। हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से सम्बन्ध अच्छे हो, संस्था के नाते झगड़ा करते रहे इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपके व्यक्तिगत सम्बन्ध सरकारी अफसरों के साथ और व्यापारी और बाकी जो लोग है उनके साथ होने चाहिए।

वैसे तो किसान संघ की परिभाषा में यह है कि किसान यानि कौन ? तो कृषि पर जिनकी उपजीविका आधारित हो वो सब किसान है यह हम मानते है। उसमें कारिगर भी आते है, बाकी लोग भी आते है। व्यावहारिक रूप में ये जरा कठिन होता है। उसमें कृषि मजदूर भी आते है। हमने अपने कॉनस्टिट्युशन में यह लिखा है, कि कृषि पर जिनकी उपजीविका आधारित है वह सब हम किसान मानते हैं, व्यवहार में यह कठिन हो जाता है, और इसीलिए किसानों का सम्बन्ध सबके साथ अच्छा रहे ऐसा हम किसानों को बताएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। आपका सम्बन्ध सबके साथ होना ही चाहिए चाहे वह कृषि मजदूरों के लोग हो, चाहे देशी कारीगर हो, जैसे बढ़ाई है, लुहार है, चर्मकार है, तो सब जो कारीगर है, तो उनके साथ आप के नमस्ते-नमस्ते के सम्बन्ध सबके साथ होने

चाहिए। किसान संघ के वहाँ के सभी सदस्य सम्बन्ध रखेंगे, आप बताएं उनको वह करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आपके सम्बन्ध सबके साथ होने चाहिए।

ऐसे ही हम सभी किसानों को मिलाकर किसान संघ है। ग्रामीण जीवन के साथ हमारा सुख-दुःख एकात्म होने के कारण सभी ग्रामीण जनता अपने को अपना समझे। एक दूसरे को अपना समझे, किसान संघ को अपना समझे। हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन आज का वायुमंडल भिन्न है, आज राजनीति सबके दिमाग पर हावी है। सब लोग राजनीतिक स्वभाव के हो गए है। हिन्दुस्तान में राजनीतिक जागृति बहुत है, ऐसा कहा जाता है उसका अर्थ इतना ही है की हिन्दुस्तान के १०० करोड़ लोगों में से १०० करोड़ लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते है। यह इसका मतलब है और उसके कारण राजनीति के क्षैत्र में झगड़े होना स्वाभाविक है। अब हम राजनीतिक नहीं है। किसान संघ गैर-राजनीतिक है, लेकिन हमने कहा कि किसान संघ के लोगों को जो व्यक्तिगत रूप से जो कार्य करना है वह नागरिक के नाते करें, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता और नेता है, उनके साथ आपका सम्बन्ध होना चाहिए, उनके यहाँ जाना, बात करना, उनके यहाँ चाय पीना, उनको चाय पर बुलाना, माने विभिन्न दलों के लोग परस्पर विरोधी दलों के लोग भी लेकिन गांव में जितने दल होंगे, उन सब दलों के साथ आपका सम्बन्ध होना चाहिए।

वैसे हमारे देश में जातिवाद बहुत है। हम उसको खराब मानते है, लेकिन है। वास्तविकता में यह इंकार करना भूल है, जातिवाद है। इस परिस्थिति में क्या निर्माण होता है? और उसके साथ कैसे व्यवहार करना? यह समझने की आवश्यकता है। अब जैसे उसका परिणाम क्या होता है? हम तो किसान संघ छोटी संस्था है। स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मातृ संस्था है उनको भी इसका सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए जब किसी भी गांव में कोई शाखा शुरू होती है तो आखिर शाखा शुरू करने वाला प्रचारक किसी के यहाँ जाकर टिकेगा, वहाँ रहेगा, उसके जात वाले उसके सम्बन्ध में आयेंगे, शायद शाखा में पहले आनेवाले लोग उसी जाति के रहेंगे तो एकदम गांव में ऐसा वातावरण निर्माण होता है कि वो फलानी जाति का संघ है। हमारे विदर्भ में दो गांव एक दूसरे के नजदीक है वरा और कुरा। तो पहले यह था कि कुरा में शाखा शुरू हुई, उसको कहते थे यह राजपूतों का संघ है। वराय में शाखा शुरू हुई कहते थे। यह माली लोगों का संघ

है, वास्तव में न ही राजपूतों का है, न ही मालीयों का है, सब हिन्दुओं का है। लेकिन वह यह समझते ही नहीं। अब जेसे बंगाल, आसाम में जब काम शुरू हुआ तो क्या होता था। वहाँ संघ कोई जानता नहीं था। लोग शाखा शुरू करते थे। लेकिन बंगाल, आसाम में मारवाड़ी लोग बहुत संख्या में आए, ओर मारवाड़ में से ही उनका संघ का परिचय हुआ था। तो क्या होता था कि शाखा में मारवाड़ी लोग आना शुरू होता था, शाखा में स्थानीय लोग कम, मारवाड़ी लोग ज्यादा। स्थानीय लोग कहते थे मारवाड़ीयों की शाखा। सिल्वर में आसामी लोग कहते थे कि ये बंगालीयों की शाखा है। इधर आसाम में बंगाली लोग कहते थे यह आसामीयों की शाखा है। इस तरह का स्वभाव हो गया हे। यह तो सम्मव नहीं है कि शुरू में काम करेंगे तो बिल्कुल सबको लेकर ही शाखा शुरू होगी ऐसा नहीं होता, ऐसा होते हुऐ भी संघ के क्षैत्र में इस परिस्थिति पर मात की गई, वह स्थिती बहुत गम्भीर थी, लेकिन मात की गई। महाराष्ट्र में ब्राह्मण-ब्राहम्ण्येतर था। किन्तु सारी परिस्थिति पर मात की गई, कैसे मात की ? तो जातिवाद क्या है इसको यदि हम समझ लेंगे, तो इस तरह धीरे-धीरे कई शतकों से चलता आया है। तो धीरे-धीरे इस पर मात की जा सकती है। अब देखिए कि हम लोग बाकी नेता भी यदी चाहें कि जातिवाद पर मात की जाए, वह आसान नहीं होता। लगातार ठीक ढंग से काम करने के बाद ही वह आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए में बताता हूँ। पूजनीय बाबासाहब अम्बेडकर का पहले तो इरादा था कि सम्पूर्ण समाज को इकट्ठा करना, किन्तु स्पर्श और अस्पर्श जो है इन्हे इकट्ठा करना सम्भव नहीं ऐसा देखा। उन्होंने पहले सोचा कि कम से कम सम्पूर्ण अस्पर्श समाज को इकट्ठा किया जाए और इस दृष्टि अस्पर्श समाज में पूरे देश में जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, वह चर्मकार, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संख्या महार लोगों की उसके बाद मातंग माने मांग लोगों की संख्या तो सबको इकट्ठा करना यह प्रयास बाबासाहब ने किया। चर्मकार लोग इनको ज्यादा सामने लाने का प्रयास किया, बढ़ावा दिया, जनरल सेक्रेटरी शेड्युलकास्ट फेडरेशन का किया, कई कार्यक्रमों में उनको उच्च स्थान पर बिठाया, लेकिन सफल नहीं हो सके। स्वयं अपनी तरफ छोटापन लेकर भी और चर्मकार लोगों को बड़ा बनाने की कोशिश की किन्तु सफल नहीं हुए। क्यूं नहीं हुए ? क्योंकि नेता के मन में कुछ भी हो इतने दशकों से महार कम्यूनीटि जो अम्बेडकर की है, उनकी तो ऐसी मनोवृति हो गई कि हम बाकी अस्पर्शयों से श्रेष्ठ है, वो लोग ज्यादा सुशिक्षित भी थे, आर्मी में, नौकरी में उनको ज्यादा स्थान भी था, तो एक

सुपीरियटी कॉम्पलैक्स हम श्रेष्ठ है, यह भावना निर्माण हुई। इसके कारण उसकी प्रतिक्रिया मांग लोगों पर, चर्मकार लोगों पर पड़ी। मांग और महार इकट्ठा नहीं हो सके, यहां तक कि अम्बेडकर ने पब्लिक मीटिंग में कहा कि आप महार लोग जो नौकरी में शिक्षा में अधिक है तो आपके अन्दर वही भावना है जैसे बाकी समाज के विषय में ब्राह्मण अपने आपको श्रेष्ठ समझता है, तो आप अपने को अस्पर्शय लोगों में ब्राह्मण समझते हो, और यह यदि सुपीरियटि कॉम्पलैक्स यदि कायम रहा तो मैं इनका पक्ष लेकर आपसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, ऐसे भी भाषण दिए। लेकिन भाषणों का उपयोग, यह जो पहले से चलती आई मनोवृत्ति है वह सारी बदल जाएगी भाषणों से, यह सम्भव नहीं है, लगातार प्रयास करना पड़ता है। दूसरी भी बात है, कई कारणों से समाज में ऊंच-नीचता का भाव आ गया है और जो तथाकथित नीचे की जातियाँ है उनके भी मन में जन्मजात यह प्रवृत्ति हो गई है कि उच्चवर्णियों का विरोध करना है। यह हमारे शत्रु है, ऐसा मानना है, हो जाता है, हम उसको अच्छा न समझे। क्या इसके ऊपर मात की जा सकती है? संघ ने की है। लोगों को आश्चर्य होता है, कि संघ ने इस बात पर मात की है। ये ठीक है कि संघ का क्षेत्र जितना है उस क्षेत्र में ही संघ ने इसके ऊपर मात की है, बाबासाहब अम्बेडकर भी मानते थे, कि संघ के क्षेत्र में उच्च-नीचता नहीं है। विषमता नहीं है, जातिवाद नहीं है, उनकी शिकायत यही थी कि मेरे मरने के पहले संघ इतना बड़ा नहीं हो की सकता जो समाज को व्याप्त कर सके और इसीलिए मुझे मेरे समाज को कहीं न कही दूसरा मार्ग दिखाना आवश्यक है, नहीं तो वो सारे कम्यूनिस्टों के पास चले जायेंगे, वह कहते थे कि, “माई कम्यूनीटि इन अ कैनान फोर्डर फोर कम्यूनिस्ट” कि जिनको शतकों तक, शताब्दियों तक जिनको, कुचला गया है, और अब जिनके अन्दर जागृति आ गई है और जिनके अन्दर चिड़ भी पैदा होती है, ऐसे ही लोग कम्यूनिस्ट पार्टी के तोफों के सामने बलि देने वाले ऐसे ही लोगों को मिल जाते है और मैं यदि आज की स्थिति में मर गया और वो जानते थे कि जल्दी मरनेवाले है, आज की स्थिति में मैं मर गया तो मेरा समाज कम्यूनिस्ट हो जाएगा, वो कहते थे कि आपके गोलवलकर कितनी भी सही बात बोलते हो लेकिन गोलवलकर जी की बात मेरा समाज इसीलिए नहीं मानेगा क्योंकि वो ब्राह्मण है, अस्पृश्य नहीं है, तो यह कम्यूनिस्टों के चक्कर में न जाए इसके लिए मुझे कोई न कोई दूसरा रास्ता दिखाना बाध्य हो गया। और फिर नजदीक का रास्ता मैं जो बुद्ध धर्म का लिया है तो इस तरह

कि वो बात करते थे। अब इसमें ये जो शताब्दियों से भावनाएँ चल रही है, इनके ऊपर मात की जा सकती है। कभी किसी ने कहा क्या कहा कि ये इस जाति के हैं, उस जाति के हैं ऐसा तो किन्तु इसके लिए आप आप का व्यवहार, आप का सम्पर्क, ठीक ढंग से, उचित ढंग से सब के साथ लगातार रहना। ऐसा नहीं है कि थोड़े ही दिन में कहा, अरे यार हो नहीं सकता छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। लगातार आपका यदि सम्पर्क रहता है, पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का, संगठनकर्ताओं का, इस पर मात की जा सकती है। उसके उदाहरण भी है, केवल एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जातिवाद के लिए बिहार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और बिहार में आप जानते है कि मारपीट ही नहीं, मर्डरस् भी होते हैं। कहीं इनकी सेना है। कहीं उनकी सेना है, अब इतना जातिवाद जहाँ प्रबल है, वहाँ जेसे महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के खिलाफ वैसे भूमिहारों के खिलाफ कार्यकर्ता नहीं है, संगठनमंत्री नहीं है, किन्तु हमारे प्रान्त संघचालक आदरणीय बबुआ जी भूमिहार हैं, किसी के भी मन में उनके लिए विद्वेश की भावना नहीं है। आश्चर्य की बात है, तो इसका कारण एक ही है कि उनका व्यवहार तो लगातार आप यदि ठीक ढंग से व्यवहार करेंगे, तो इस बात को भी हम अपने कब्जे में ला सकते हैं। समय लगेगा लगातार प्रयास करना पड़ेगा, यह थोड़ी बात आप समझ लीजिए।

दूसरी बात संगठन, हमारा ध्येय, सारा कुछ ठीक होने के बाद भी आप के व्यवहार में यदि कुछ गलत काम हो जाता है। मानो कहीं नियुक्ति करनी है, नियुक्ति करते समय, दो पद्धतियाँ है। एक पद्धति है कि मुझे कौन पसन्द है, मुझे कौन नापसन्द है, पसन्दगी और नापसन्दगी, “लाईक एण्ड डिसलाईक्स” इसी के आधार पर लोग नियुक्तियों कर देते हैं। और दूसरी पद्धति है मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध कुछ भी हो, लेकिन काम के लिए योग्य कौन है? मुझे स्मरण होता है कि मैं कम्यूनिस्टों के फेडरेशन में ढ़ाई साल तक रहा, पी एण्ड टी के और बैंक के, ऊपर कम्यूनिस्ट और नीचे कम्यूनिस्ट, हमारे जिनके यहाँ मैं रहता था, भैया कांगे, वो आर .एम .एस. का कर्मचारी था। उसी के प्रयास के कारण में अध्यक्ष के नाते मेरा चुनाव हुआ, जनरल सेक्रेटरी के नाते सी. पी. एम. के नेता एन. जे. अय्यर थे, वो जनरल सेक्रेटरी पहले से थे, चुनाव में तो मैं जीत गया, और बाकी पदाधिकारियों का चुनाव होना था, तो एन. जे. अय्यर ने खड़े होकर कहा, कि भई ठेंगड़ी जी को अध्यक्ष के नाते आपने चुना है, तो बाकी चुनाव न करें, उनके लिए जो टीम

सुविधाजनक होगी ऐसी टीम चुनने का अधिकार उनका दिया जाए तभी तो सुचारू रूप से काम चल सकता है। तो कल तक विचार करते हुए ठेंगड़ी जी ने अपनी टीम डिक्लेयर करनी चाहिए। अब सबके मन में था, अपने लोगों में और कम्यूनिस्टों में भी, कि जिस भैया कांगे के परिश्रम के कारण ही मैं अध्यक्ष बन सका उसी को हम जनरल सेक्रेटरी करेंगे, ऐसा नही था। योग्यता को देखकर और हम जानते थे कि योग्यता के नाते एन. जे. अय्यर ही अच्छा है, तो हमने वो कट्टर शत्रु होते हुए भी उसको हमारा जनरल सेक्रेटरी घोषित किया, मेरी मर्जी पर था, तो भी हमने उसको जनरल सेक्रेटरी घोषित किया और फिर इतना परिवर्तन उनके अन्दर था, वो कम्यूनिस्ट रहे, संघ का विरोध करते रहे, हमारे बारे में उन्होंने आखिर तक बहुत अच्छी भूमिका निभाई। किन्तु पसन्दगी-नापसन्दगी इसके आधार पर यदि आप काम करते तो परिणाम क्या होता, ये भी जरा सोचिए। तो मान लीजिए मैं फलाने पद के लिए योग्य हूँ मुझे ऐसा लगता है, आपको वहाँ नियुक्त नहीं किया गया, जो नियुक्त करने वाला संगठन मंत्री है उसने और किसी को किया। अब यदि आप के विषय में जनरल धारणा यह रही 'यू आर ए मैन ऑफ लाईक्स एण्ड डिसलाईक्स ", पसन्दगी-नापसन्दगी का विचार आपके मन में रहता है तो उसको गुस्सा आएगा, कि वो फलाना आदमी अपनी पसन्द का है इसीलिए उसको नियुक्त किया, मैं उसकी पसन्द का आदमी नही हूँ इसीलिए मुझे नहीं किया, उसका गुस्सा आएगा। किन्तु आप के बारे में सर्वसाधारण धारणा यदि यह रही कि आप लाईक्स एण्ड डिसलाईक्स पर नहीं, तो उसको दुख तो होगा, लेकिन गुस्सा नहीं आएगा, वो इतना ही समझेगा कि यह लाईक्स एण्ड डिस्लाईक्स के कारण नहीं हुआ। हां मेरे बारे में कोई गलत इन्फोरमेशन उनके पास पहुँची होगी, इसीलिए उन्होनें यह अन्याय मेरे साथ किया होगा, उनको सही ईन्फोरमेशन यदि मैं बाद में दूंगा, अन्याय दूर हो सकता है। तो उसको दुख बहुत होगा, गुस्सा नही आएगा। तो इस प्रवृत्ति से भी अपने आप को बचाना चाहिए। आजकल यह प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। क्योंकि बाहर के क्षेत्र में यह प्रवृत्ति चलती है, ग्रुपईज्म-फैक्स्नेलिज्म।

और एक बात, हमने जैसे अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, वैसे अपने कानों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आजकल तो बहुत हो गया, पिछले १०- १५ साल में यह बहुत ज्यादा हो गया, कि कानों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। क्योंकि

राजनीतिक क्षेत्र में अंग्रेजी में जिसे कहते है "साईकोफेन्सी" यानि खुशहामतखोरी, चापलुसी इतनी ज्यादा हो गई कि फेशन हो गई, कोई लीडर है कोई मिनिस्टर है, चापलूस, खुशहामतखोर लोग उसको घेरते है, उनको भी अच्छा लगता है। वास्तविकता क्या है इसका विचार न करते हुए, चापलुसी और खुशहामत उनको अच्छी लगती है। अब क्या होता है, मैं आपके यहां आया, भाषण हुआ, उसके बाद, पांच-छ: महिने बाद आप मेरे मकान में दिल्ली में आते है। आप कहते हैं कि ठेंगड़ी जी कमाल हो गया। क्या? आपने उस दिन जो भाषण दिया, सब लोग कहते थे कि ऐसा भाषण हमने कभी सुना ही नहीं जीवन में, मैं भी खुश हो जाता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह मेरा कद्रदान है। मेरी कद्र यह जानता है। मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं प्रसन्न हो गया, ये देखने के बाद उसके मन में यह इच्छा होती है, कि ठेंगड़ी जी के मन में हृदय में और थोड़ा आगे हमने बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए वो कहता है ठेंगड़ी जी आपका भाषण तो अच्छा हुआ सबने सराहना की किन्तु ये जो संकटा सिंह जी थे क्या? पता नहीं क्यों ? और रूक जाते हैं। आगे नहीं बढ़ता। मेरे मन में उत्सुकता बढ़ती है। अरे, संकटा सिंह जी ने क्या किया? क्या बोला? क्या हुआ ? मैं पूछता हूँ संकटा सिंह जी ने क्या किया? तो बोले "अरे छोड़ो-छोड़ो, कोयला है, चाहे कितना ही घिस लो काला ही काला निकलेगा, छोड़ो वह विषय ही बन्द करेंगे" अरे विषय बन्द करना था तो उनका नाम क्यों लिया। इस तरह की प्रवृत्ति, इसमें जो संगठक है उसने पहले तो अपने मन में यह पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, कि मेरी टीम का आदमी है वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। किन्तु इतना विश्वास भी यदि नहीं होता व्यवहार में क्या होता है। मैने सुन लिया, मैं सोचता, अरे इन्होनें कुछ मेरे बारे में कहा, मेरे मन में भी उनके बारे में विद्वेश की भावना होती है। मैं इनके बारे में कुछ बोलता हूँ, वो उनके पास पहुँचता है, तो वो भी मेरे बारे में फिर बोलना शुरू कर देते हैं, परस्पर दो फ्रँक्शनस् हो जाते हैं। सीधा रास्ता यह है कि आपकी टीम के किसी भी सदस्य ने आपके बारे में कुछ कहा ऐसा यदि लगा, सुना तो सीधे साईकिल लेकर उसके मकान में जाना उससे कहना, आपने मेरे बारे में यह कहा, क्यों कहा, हो सकता है कि कोई आवश्यकता होगी मेरे खिलाफ बोलने की, इसीलिए बोला या और कुछ काम है, तो सीधे बोलने से मैटर वहीं समाप्त होता है, न बोलने के कारण फिर परस्पर उलझन हो जाती है।

तो संगठन मंत्री, स्वयं अपने ऊपर जितना नियंत्रण रखेगा उतनी मात्रा में वह यशस्वी होगा। स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण। वही बात है कि आज हम, एक संघर्ष में जुटे हुऐ है, संघर्ष के लिए किसानों का प्रतिसाद कितना अच्छा रहेगा, कितना खराब रहेगा, यह संगठन मंत्री के स्वभाव पर अवलम्बित है। कुछ संगठन मंत्रीयों का स्वभाव ऐसा होता है, काम बहुत करते है। उनके इरादे, मोटीवेशन बहुत अच्छे रहते है। लेकिन मन में एक नर्वसनैस रहता है। कठिनाईयां तो आती है। कुछ संगठन मंत्री तो ऐसे हो सकते हैं जिनके मन में पूर्ण विश्वास है कि हम सही रास्ते से जा रहे है। आज यद्यपि हमको सही ट्रैक मिलता होगा तो भी इन द लीग रन, अन्तत: हमारी ही विजय होने वाली है, "सिम्पलीसिट फेथ, इन द अल्टीमेट ट्रेमप्स ऑफ अवर आईडयोलोजी" अपने सिद्धान्तों के अन्तिम विजय के विश्वास में पूर्ण अडिग विश्वास यह यदि आपके मन में रहा तो उसका परिणाम अलग होता है, और किसी तरह आपके मन में भी यह रहा कि यह होगा या नहीं होगा पता नहीं, उसका परिणाम भी लोगों पर होता है। आप बोले न बोलें, लेकिन आप की जो मनस्थिती रहेगी उसका परिणाम आपके न बोलते हुए भी और लोगों पर होता है। जैसे नैतिक व्यवहार का वैसे इसका भी नैतिक व्यवहार का मान लीजिए मेरी नैतिकता अच्छी नहीं, लेकिन मैने छिपा कर रखा है, मेरा जो गड़बड़ वाला मामला होगा कोई जानता नहीं, कोई जानता नहीं तो भी, यदि मेरा मामला गड़बड़ वाला है। नैतिकता का, तो मेरे बोलने का असर कम हो जाता है लोग जानते ही नहीं, तो भी स्वाभाविक रूप से, भगवान की रचना ही ऐसी है, तो मेरे बोलने का असर कम हो जाता है। तो अपने विजय के विश्वास में यदि हम बात करते है, तो लोगों के मन में भी विजय का विश्वास निर्माण होता है। आज जो ठुलमुल है कि पता नहीं अभ्यास वर्ग में जाने से होगा या नहीं होगा, ऐसे लोग भी जब आपके मन में भी विजय का विश्वास है। मुझे कई लोग पूछते है ठेंगड़ी जी आपके मन में बहुत आत्मविश्वास है। मैने कहा आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास और अहंकार इसमें लाईन ऑफ डिमारकेशन, भेद करने वाली रेखा बहुत पतली है। आत्मविश्वास कभी भी अहंकार में परिवर्तित हो सकता है। और आत्मविश्वास रखना मै बुद्धिमानी का लक्षण नहीं समझता, यदि वह अहंकार में परिवर्तित होता है। तो फिर आप ऐसा क्यों कहते है। कि होगा ही। हमने कहा, "यह विजयी विश्वास है, "आत्मविश्वास नहीं है, आत्मविश्वास क्या करेगा , मैंने इतना कहा कि होगा ही और भगवान की दया न रही, कहीं एक्सीडेन्ट हो गया, मैं खत्म हो गया,

कहीं ब्रेन हैमरेज हो गया, मैं खत्म हो गया, कहीं हार्टअटैक हो गया, मैं खत्म हो गया। आत्मविश्वास की क्या बात है, वह तो भगवान की इच्छा है। लेकिन विजयी विश्वास मेरी आईडीयोलोजी यही योग्य है। मेरी संस्था का काम यही योग्य है। इसी का अन्ततोगत्वा विजय होगा। यह विश्वास यदि रहा तो इसका परिणाम लोगों के मन पर होता है।

अभी हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम तय किए है। अभी आपको बताया गया कल कि २५ सितम्बर से २ अक्टुबर तक, जो हमने कार्यक्रम ठीक किए थे। पहले तो प्रधानमंत्री को बताया गया, बृजेश मिश्रा आए, एन. के. सिंह आए अब ये क्या बताते हैं, इनका क्या जिम्मेदार इट विल बी अ फ्लोप, किन्तु प्रत्यक्ष जब कार्यक्रम हुए और संख्या का पता चला तो सरकार को सोचना पड़ा और उसके परिणाम स्वरूप उन्होनें कहा कि भई इनके ऊपर यदि कोई दबाव लाना है संघ की ओर से आ सकता है। तो संघ के नेताओं को बुलाकर कहा गया कि मजदूर संघ, किसान संघ, स्वदेशी वाले जरा इनको आप बताईए कि हमारे खिलाफ न बोलें, और भाषण न करें, डिमान्स्ट्रेशन न करें। संघ के नेताओं ने कहा कि यह आप देखिए। हम मध्यस्थता नहीं करेंगे आप सीधे उनसे बात करें। दूसरी बात देखिए यह हमारा आन्दोलन बढ़ता जा रहा था। अब डिसईन्वेस्टमेंट के बारे में, फर्नांडिंस ने, उमा भारती ने, राम नाईक ने कुछ भूमिका ली। केबीनेट ने भी विरोध किया। क्या उनको, जो बात आज उनको समझती है वही एक साल पहले नहीं समझती थी क्या? क्योंकि डिसईन्वेस्टमेन्ट का कार्यक्रम तो पहले से शुरू हुआ है। आज जो उनके विचार है, यह विचार पहले नहीं थे क्या? किन्तु हिम्मत नहीं होती थी। जो विदेशियों का दबाव, जिसके अन्तर्गत काम कर रहे है हमारे सरकार, तो अपने विचार प्रकट करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन आपका आन्दोलन देखा, इसको जन समर्थन प्राप्त हो रहा है यह देखा, उनकी हिम्मत बढ़ गई, और फिर उन्होंने खुलकर विरोध करना शुरू किया। विचार उनके पहले भी वही थे आज भी वही है, पहले हिम्मत नहीं थी आज हिम्मत है आप के आन्दोलन के कारण है। कहीं आपके आन्दोलन के अच्छे परिणाम होते रहते कल भी आपको यह बताया गया था, सरकार के द्वारा भी जो बहानेबाजी होती वह गलत थी। ये जरा आप समझ लिजिए। सरकार कहती है कि भई ऐसा है कि पहले की सरकार ने जो एग्रीमेन्ट्स कि है उनके अन्तर्गत चलना होगा, गलत बात है। डब्ल्यु. टी. ओ. जॉईन करने का पहले की सरकार ने निर्णय लिया उसके अनुसार चलना ही होगा, और पुरानी सरकार ने जो एग्रीमेन्ट्स कि उसी के मुताबिक चलना होगा,

तो फिर आप उस पार्टी के ही लोगों को आने दो आप को क्यों लाया है आगे लोगों ने? आपको इसीलिए लाया कि पुराने निर्णय उनको अच्छे नहीं लगते थे। पुराने एग्रीमेन्टस् उनको अच्छे नहीं लगते थे, और इसीलिए उन एग्रीमेन्ट्स को तोड़कर अब नई दिशा लेंगे, इसीलिए आपको लाया और पुराने एग्रीमेन्ट्स तोड़ने का आपको पूरा अधिकार है। हम सोवरेन है। हम सम्प्रभूता सम्पन्न राष्ट्र है, हमें पूरा अधिकार है। तो यह बहानेबाजी थी, कहा जाता है कि भई वो कोलेशन होने से, हमने कहा कि कोलेशन की कोई अडंगा नहीं थी, क्योंकि कोलेशन में जितने लोग है वो सब जानते थे, वो आपको धमकी तो दे सकते है, ब्लैकमेल तो कर सकते है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक बार यदि सैन्ट्रल मिनीस्टिरी छोड़ दी, फिर से सेन्टर में मिनिस्टर होने की आशा नहीं ये सब जानते है। इसीलिए वो ब्लैकमेल करेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो यह सारी बहानेबाजी है। बहानेबाजी होने के कारण दबाव लाना यह एकमात्र रास्ता है, और दबाव लाने के लिए पिछली, बार कार्यक्रम जो हुए वे बहुत अच्छे हुए उनका परिणाम भी हुआ है। किन्तु साथ ही साथ और भी सरकार की तैयारी चल रही है। मुनाफा कमाने वाली कम्पनीयों को भी विदेशियों के हाथ में देना जिसका हम शुरू से विरोध करते आये, वो प्रोग्राम सरकार ने फिर से अपने हाथ में लिया है। इस समय यदि हम विरोध नहीं दिखाते है जनता का, तो सरकार गलत दिशा में जायेगी और हमारी सम्प्रभुता भी खतरे में आ जाएगी। किन्तु यह बात सही है कि हम लोग बहुत थक गए और थकने के कारण ऐसा एक सुझाव आया था कि भई अब इसके खिलाफ दिल्ली में २ लाख से ज्यादा लोगों का प्रदर्शन किया जाए। लेकिन सम्भव नहीं। क्योंकि अभी जो कार्यक्रम हुए उसमें सब लोग थक गए है। आर्थिक दृष्टि से थक गए है। शारीरिक दृष्टि थक गए है। जैसे मैंने आपको कहीं सामान्य सदस्यों को थकने का अधिकार है ही सामान्य सदस्यों को थकने का अधिकार है, आपको अधिकार नहीं है। फिर इस दृष्टि से सामान्य सदस्य थक गए है, आर्थिक दृष्टि से वो एक्सोस्ट हो गए है इसीलिए, इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो भी कुछ न कुछ जनता का विरोध और दबाव सरकार पर लाने की आवश्यकता थी। इसीलिए, कल जो बताया गया वह कार्यक्रम १५ फरवरी से १५ अप्रैल तक यह तय किया गया। अब यह जो कार्यक्रम है यह कार्यक्रम हम जानते है कि आर्थिक दृष्टि से आप बहुत एक्सोस्ट हो गए है। लोगों को जुटाने में तकलीफ होगी लेकिन इसीलिए एक दम अखिल भारतीय कार्यक्रम न करते हुए? या एक दम राज्य कार्यक्रम न करते हुए,

जिला के स्तर पर हो या कहीं आपके सुविधाजनक लगे, तालुका के स्तर पर हो, जिस काल खण्ड में यह कार्यक्रम आप ले सकते हो आपकी सुविधा से लेकिन यह होना चाहिए। इसका उद्देश्य एक होना चाहिए कि सरकार पे ज्यादा से ज्यादा दबाव लाना। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को रास्ते पर लाना। कम खर्चा, ज्यादा प्रभाव कि जिससे इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्धी हो पब्लिसीटी हो इसकी व्यवस्था करना। तो अपने जितनी शक्ती कम होगी उतनी ही लेकर माने आर्थिक और कार्यकर्ता थक गए यह भी ध्यान में रखते हुए किन्तु यह सारा, आप पुरी ताकत लगायेंगे सामान्य किसान नही लगायेंगे। वो तो उस दिन उसको लाना यह ही आपका काम है, आप पूरी ताकत लगायेंगे। और जिस समय लोग थक जातें है, उस समय प्रमख कार्यकर्ता यदि थक जाता है, तो हार होती है। किन्तु लोग थक गए, अब लढने से इन्कार करते है तो भी प्रमुख कार्यकर्ता यदी नहीं थकता तो विजय होती है। केवल एक आध उदाहरण देकर मै यह भाषण पूरा करूंगा।

ऐसा था, प्रथम महायुद्ध के समय फ्रांस हमेशा के जैसा अनप्रिपेयर्ड था, फ्रॉन्स कभी प्रिपेयर्ड नही रहता। वो ऐशो-आराम करने वाले लोग हैं। जर्मनी की तैयारी थी, जर्मन सेना फ्रांस में घुस गई। फिर उन्होने अपनी सेना को तैयार किया, डिप्लोमेंट शुरु किया, पेरिस के उपर २० मिल पर मारनिस नाम की नदी है, उसके किनारे तक जर्मन सेना आ गई, फ्रेंच सेना उसको रोक नहीं सकी। उस समय उनमें सर सेनापति जनरल जॉफरी, उन्होने उनके जो २० असिस्टेन्ट यानी "आर्बीट्रेन्टस" थे, उनको टेन्ट में बुलाया। उन्होनें कहा कि देखो मारनिस नदी तक जर्मन सेना आ गई है, अब हमने प्रत्याक्रमण, काऊन्टर ऑफेन्स, शुरू करना ही चाहिए, नहीं करेंगे तो पैरिस उनके हाथ में चला जाएगा। जर्मनों के और पेरिस हाथ में जाएगा तो हमारी नाक कट जाएगी। ४८ घन्दे के अंदर मुझे यह आपका टेलीग्राम मिलना चाहिए कि आपने काऊन्टर ऑफेन्स, प्रत्याक्रमण शुरू किया है। २० "आर्बिट्रेन्टस" के सामने जनरल जाफरी ने यह बात की। ४८ घन्दे में केवल एक टेलीग्राम आया। बाकी १९ लोगों ने टेलीग्राम किया ही नहीं क्यों की वे प्रत्याक्रमण कर ही नहीं सकते थे। टेलीग्राम ऐसा था। उन दिनों में फ्रेन्स सेना की रचना ऐसी थी कि एक सामने की प्लेंक, दूसरी दाँई और की प्लेंक, तीसरी बाँई ओर की प्लेंक, तीन प्लेंक्स में सेना की रचना थी। एक ड्राईव इन राईट, ड्राईव इन लेफ्ट और सेन्टर। एक केवल टेलीग्राम आया, उसमें था माई राईट रिसीट्से माने तो तीन प्लेंक है उसमें से जो दाँई

और की प्लेंक है, वो पीछे हट रही है, माई राईट रिसीटसे, माई सेन्टर गिव्स वे, माने बीच में की जो प्लेंक है वह टूट गई। तीनों प्लेंक थी एक दाँई ओर, एक मध्य में तो मध्य की प्लेंक टूट गई, दाँई ओर की प्लेंक पीछे हट रही है। तीसरा वाक्य था, सिचुएशन इस एक्सीलेंट, परिस्थिती बहुत अच्छी है, बहुत बढिया है। चौथा वाक्य है आई शल अटैक, मै यहां हमला करने वाला हूं, क्या मूर्खता है। लेकिन यूरोप के सैनिक इतिहास में यह टेलीग्राम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है कि जहां एक प्लेंक टूट गई, एक पीछे हट गई? केवल एक प्लेंक यह कर रहा है मैं हमला करने वाला हूं, बहुत बढिया परिस्थिती है। इस "आर्बीट्रेंटस" का नाम था फ्लांक। लडाई के अन्दर जब अमेरिका, इंगलैण्ड, फ्रांस, इनके जो मित्र राष्ट्रों की सेना थी उसमें इनका स्थान चीफ ईन स्टॉफ के नाते था। मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई, बाद में उनको मार्शल यह टाईटल दे दी। तो मार्शल फ्लांक फिर से पैरिस में आये, विजय के पश्चात तो सबने बड़ा उत्साह से स्वागत किया, कॉरस्पॉण्डेन्ट ने उससे पूछा, बोले ये बताईए आप २० "आर्बीट्रेन्टस" थे, अब उसमें से बाकी लोगों ने हार मान ली और आप विजयी हो गए, इसका रहस्य क्या है। बाकी १९ लोगों से आप के अंदर क्या गुण विशेषता थी। विशेष कुछ गुण था यह बताईए, तो वह सीधा ही आदमी था। राजनेता के समान उसे झूठ बोलने का स्वभाव और अधिकार नही था, और इस कारण जो सच था वही उसने बोल दिया। उसने कहा कि मेरे अंदर उनकी तुलना में ज्यादा गुण कुछ नही था। उल्टा था कि उनके अन्दर चार पाँच "आर्बीट्रेन्टस्" ऐसे थे जो मिल्ट्री सांईस मेरे से अच्छा जानते थे। अच्छे जानकार थे। तो ऐसा यदी है तो फिर वह हार गए आप जीत गए इसका रहस्य क्या है? उन्होनें फिर से सोचा उन्होंने कहा भाई इसमें आश्चर्य की बात नही मैं विजयी हुआ, उसका एक ही कारण है, "आई वाज सिम्पली डिटरमाइंड नॉट दू बी डिफीटेड" मैने पहले से ही निश्चय किया था कि पराजीत मैं होने वाला नही हूं, इसीलिए विजय हो गई, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यह सिपाही का जवाब आई वास सिम्पली डिटरमाइंड नॉट दू बी डिफीटेड, यह हम मे से हरेक में होना चाहिए। सामान्य किसान के मन में नही होगा। सामान्य सदस्यों के मन में नहीं होगा। किन्तु आप लोग जो यहा बैठे हैं उनके मन में तो यह होना चाहिए कि आई वीज सिम्पली डिटरमाइंड नॉट टू बी डिफीटेड।

एक और छोटासा उदाहरण देकर में यह चेप्टर समाप्त करता हूं। इंग्लेंड और फ्रांस की लडाई चल रही थी। नाविक दलों की, माने नौ सेना की लड़ाई थी, ट्राफलगढ़ में हुई,

अब ट्राफलगढ़ की लड़ाई में दोनों तरफ के जहाज एक दूसरे पर गोला-बारी चला रहे थे। क्या हुआ कि इंग्लैण्ड के नाविक दल का एडमिरल, उसके पास खबर आ गई कि अपना गोला-बारूद अब समाप्त होने वाला है, बहुत थोड़ा है। उसको लगा कि गोला-बारूद समाप्त होने आया है, तो ज्यादा गोला-बारी करने से क्या लाभ है। केवल अपने लोगों को मरवाना, केवल इतना ही होगा। तो अच्छा है कि हम आत्म-समर्पण करें, फ्रेंच नौसेना के सामने। तो उसने अपने केबिन में से जो सबसे सामने जहाज था, उसको ईशारा दिया कि तुम सफेद झण्डे खड़े कर दो, सफेद झण्डे आत्म शरणागति के झण्डे होते हैं, तो सफेद झण्डे खड़े कर दो, तो वहाँ के गोला-बारूद वो गोला-बारी बन्द हो जाएगी, अपने लोग फिजूल मारना यह नहीं होगा, अब उन्होनें वो इशारा किया, पहला जो जहाज था सामने का उसका कैप्टन नेलसन नाम का था। उसकी एक आँख बिल्कुल फूटी हुई थी, नेलसन को किसने बताया की एडमीरल ने ईशारा किया है, संकेत किया है, कि सफेद झण्डी खडी करो। अब वो डिसीप्लिण्ड होने के कारण आज्ञा का पालन न करना भी उचित नहीं था।

लेकिन नेलसन का विश्वास, विजय विश्वास, बहुत था। गोला-बारूद खत्म होते आए तो भी आपत्ति नहीं, आखिर तक लड़ेंगे, लेकिन एडमिरल ने आज्ञा की, तो क्या करना अनुशासन भंग भी न हो, और अपनी इच्छा के अनुसार लड़ाई चलती रहे, उसकी जो फूटी आँख थी उससे उसने केबिन की तरफ देखा, अच्छी आँख से नहीं देखा, जो फूटी आँख थी उससे देखा, तो उसको कोई दिखा ही नहीं, तो उसने गोला-बारी जारी रखी। अब इसको पता नहीं था कि फ्रेंच सेना की भी वही अवस्था थी, उनका भी गोला-बारूद समाप्त होते आया था। उनके भी एडमिरल के मन में यही विचार आया, कि फिजूल हम लड़ाई जारी रखेंगे, अपने लोगों को मरवायेंगे, क्या लाभ होगा? तो हमने सफेद झण्डे दिखाने चाहिए, उनके भी मन में विचार चल रहा था। दोनों एडमिरल के मन में एक ही विचार, कि फिजूल अपने लोगों को क्यों मरवाना? पांच-छ: मिनट तक नेलसन के जहाज से गोला-बारी चलती रही, उधर से सफेद झण्डे दिखाई दिए, पांच-छ: मिनट, ज्यादा फर्क नहीं था, मानों दोनों की मनःस्थिति समान थी एडमिरल की। लेकिन नेलसन ने पांच-छ: मिनट तक और ज्यादा अपने जहाज से गोला-बारी चलाई, तो उनका धीरज खत्म हुआ उन्होंने सफेद झण्डी दिखाई, और अन्त में अंग्रेज नौदल का विजय हुआ।

मानों विजयी विश्वास होना और न होना इसमें क्या अन्तर होता है, एडमीरल के मन में विजय विश्वास नहीं था, उनके भी मन में विजय विश्वास नहीं था, लेकिन नेलसन के मन में विजय विश्वास होगा यह होने के कारण, पांच-छःमिनट ज्यादा लड़ाई जारी रखी, और अंग्रेजों की विजय हुई।

आज हम उसी स्थिति में है। सर्व-सामान्य किसान, सर्व-सामान्य मजदूर, अभी हमने डेमॉन्स्ट्रेशन्स किए, बहुत अच्छा परिणाम हुए इसके कारण, आत्म-सन्तोष कि बस हमने क्या बहादूरी की, अब जरा आराम करेंगे, यह प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से निर्माण हुई। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप का यह जिम्मा है, कि इस थकान की परिस्थिति में भी थकान न दिखाते हुए, और फिर से जो यह कार्यक्रम करना है, १५ फरवरी से १५ अप्रैल २००३ तक, तो थकान आप महसूस न करें, आप के कारण फिर बाकी लोगों की थकान दूर होगी, कार्यक्रम यशस्वी होंगे, जितना हम रोक सकते है उतना तो अभी रोकेंगे, और भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इस समय जो विदेशियों के हाथ में हमारी इण्डस्ट्रीज देने का जो गलत फैसला और किसानों की दृष्टि से जिनके निर्णयों के कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, ऐसे निर्णय लेना शुरू हो गया है। ये सब को रोकने के लिए, १५ फरवरी से १५ अप्रैल तक यद्यपि हम आर्थिक दृष्टि से एक्सोस्ट हो गए है, कार्यकर्ता थक गए है, तो भी जारी रखना, गोला-बारी जारी रखना। जो पर्वतारोहण करने वाले हैं, वो कहते हैं कि हिम्मत का मलतब क्या है? मैने कहा, करेज इज टू होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, यानि हिम्मत का मतलब है एक और क्षण तक जारी रखना ऊपर चढ़ने का काम, उसी तरह से यह दो महीने में सब जगह पूरी ताकत लगाकर आप काम करेंगे, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है।

भारत माता की जय।।

।। करें राष्ट्र निर्माण।।

करें राष्ट्र निर्माण बनायें मिट्टी से अब सोना।। धृ।।
शस्य श्यामलां सुजलां सुफलां धरती के हम वासी।
फिर क्यों अपने महादेश की जनता रहे उपासी।।
अन्न धान से भर दें अपने देश का कोना-कोना।
करें राष्ट्र निर्माण बनायें मिट्टी से अब सोना।।१।।

गंगा जमुना यहां बहाती है अमृत की धारा।
ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी का जल पय से प्यारा।।
जल की धारा से धरती का सूखा भाग भिगोना।
करें राष्ट्र निर्माण बनाए मिट्टी से अब सोना।। २।।

सागर हमको देता अपना दुग्ध जलध गम्भीरा।
और हिमालय देता हमको शीतल मंद समीरा।।
गर्वोन्नत मस्तक रख कहता कभी न विचलित होना।
करें राष्ट्र निर्माण बनायें मिट्टी से अब सोना।। ३।।

आज हमारे दिव्य देश में प्रजातंत्र सुखदायी
प्रजातंत्र का काम प्रजा की होती रहे भलाई।।
जहां एक ही धार पियें जल सिंह और मृगछौना।
करें राष्ट्र निर्माण बनायें मिट्टी से अब सोना।। ४।।